

छावनी परिषद् लैन्सडौन (पौड़ी गढ़वाल)

निविदा

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद् कार्यालय, छावनी अस्पताल, छावनी परिषद् हाई स्कूल व छावनी परिषद् प्राईमरी स्कूल लैन्सडौन के निष्प्रयोगीय वस्तुओं लोहा, पीतल, प्लास्टिक, टीन शीट, लकड़ी इत्यादि का नीलाम 'जैसा है, जहां है' के आधार पर दिनांक 07.01.2016 को किया जाना है। विस्तृत निष्प्रयोगीय वस्तुओं की सूची व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस पर छावनी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

शर्त :- नीलामी में सम्मिलित होने के लिए बोलीदाता को रु 10000/- नकद धरोहर राशि दिनांक 06.01.2016 साँय 03.00 बजे तक जमा करनी होगी जो कि असफल बोलीदाता को तुरन्त वापस कर दी जायेगी। सफल बोलीदाता को कुल बोली की राशि तुरन्त जमा करनी होगी। ऐसा न करने पर सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी व नीलामी दोबारा की जायेगी।

नोट:- नीलामी हेतु जानकारी कार्यालय की वेबसाईट www.lansdownecb.org.in पर भी देखी जा सकती है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लैन्सडौन ।

छावनी परिषद् प्रशासन

सार्वजनिक नीलाम सूचना :-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद् कार्यालय, छावनी परिषद् चिकित्सालय, छावनी परिषद् हाई स्कूल व प्राईमरी स्कूल लैन्सडौन से सम्बन्धित निष्प्रयोजन पड़े (प्रयोग के पश्चात् अप्रयोगीय) वस्तुओं जिनकी सूची संलग्न है की नीलामी दिनांक 07 जनवरी 2016 को जैसा है जहाँ है के आधार पर निम्नलिखित स्थानों पर की जायेगी :-

क्र० सं०	स्थान	दिनांक	समय
1.	छावनी परिषद् कम्पनी बाग क्षेत्र	07.01.2016	1100 बजे सुबह
2.	छावनी परिषद् चिकित्सालय	07.01.2016	12.30 बजे दोपहर
3.	छा० परि० हाई स्कूल	07.01.2016	01.30 बजे दोपहर
4.	छा० परि० प्राईमरी स्कूल	07.01.2016	03.00 बजे दोपहर

इच्छुक व्यक्ति छावनी परिषद् कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर विस्तृत नीलामी सूची व नीलामी की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते है। नीलामी की शर्तें निम्न प्रकार है।

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में शामिल होने के लिये प्रत्येक बोलीदाता को रु 10000/- नकद धरोहर की राशि दिनांक 06.01.2016 साँय 03.00 बजे तक जमा करनी होगी, जो असफल बोलीदाता को नीलामी समाप्त होने के पश्चात् वापस कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमानत के रूप में समायोजित कर दी जायेगी।
2. सफल बोलीदाता को बोली राशि की कुल राशि बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद जमा करनी पड़ेगी, ऐसा न करने पर सफल बोलीदाता की धरोहर राशि रु 10000/- जब्त कर ली जायेगी व नीलामी निरस्त कर दुबारा नीलामी की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जायेगी।
3. नीलामी की राशि जमा करने के पश्चात् सफल बोलीदाता निष्प्रयोगी सामान भण्डार लिपिक से सम्पर्क कर उठा सकते है।
4. नीलामी बोर्ड के संकल्प सं० 16 दिनांक 28.05.2015 के द्वारा गठित समिति के सदस्यों के सम्मुख सम्पन्न की जायेगी।

प्राधिकार :- संकल्प सं० 16 दिनांक 28.05.2015

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद् लैन्सडौन ।
(राजीव कुमार)

पत्रांक 204/नीलाम/छा०प०
कार्यालय छावनी परिषद्,
लैन्सडौन गढ़वाल - 246155
दिनांक नवम्बर 2015